(97)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1634—तीन/2000 — विरूद्व आदेश दिनांक 2—5—2000 पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा — प्रकरण कमांक 30/1999—2000 अपील

श्रीमती गुरूदीप कौर पत्नि अवतार सिंह
निवासी 49/22 पूर्वी पटैल नगर नई दिल्ली
हाल मुकाम 102 मेमन अपार्टमेंट 372/4
पोरीगॉव पार्श्वनाथ मैन रोड पुणे महाराष्ट्र
हाल डा.ताज सिंह लखमना कालेज कालोनी
बुढ़ार जिला शहडौल ——आवेदक

विरूद्व

1— राजेन्द्र सिंधानिया पुत्र महावीर
बुढ़ार तहसील सोहागपुर जिला शहडौल
2— सुश्री रोमा कुमारी पुत्री अर्जुनसिंह
ग्राम बुढ़ार तहसील सोहागपुर जिला शहडौल ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित—एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 14—09—2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 30/99—2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 2—5—2000 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम हड़या की भूमि सर्वे कमांक 40, 41, 43 पर ग्राम की नामान्तरण पॅजी के सरल कमांक 3 पर आदेश दिनांक 30—3—1985 से नामान्तरण किया गया। इस आदेश क विरूद्व आवेदक

ने अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के समक्ष दिनॉक 22—4—1995 को अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर ने प्रकरण कमांक 101/94—95 अपील में पारित आदेश दिनांक 19—7—1999 से अपील समयावाह्‌य प्रस्तुत होने के कारण निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 30/99—2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 2—5—2000 से अपील अस्वीकार की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम की नामान्तरण पॅजी के सरल कमांक 3 पर आदेश दिनांक 30—3—1985 से किये गये नामान्तरण आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के समक्ष दि. 22—4—1995 को अपील प्रस्तुत की गई है। अपील 10 वर्ष से अधिक समय वाद प्रस्तुत होने एंव विलम्ब क्षमा करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 19—7—99 में निम्नानुसार निष्कर्ष दिया है :—

" अपीलार्थी व्दारा नायव तहसीलदार बुढ़ार के न्यायालय में प्रकरण कमांक 20 अ—6/1994—95 चलाया था जो दिनांक 30—6—97 को अदम पैरवी में निरस्त किया जा चुका है। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलार्थी व्दारा कोई अपील नहीं किया गया न ही पुर्नस्थापन हेतु कोई कार्यवाही की गई। अपीलार्थी व्दारा उक्त नामान्तरण की जानकारी 27—3—1995 के पूर्व नहीं होना वर्णित किया है जबकि नायव तहसीलदार बुढ़ार के प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को नामान्तरण आदेश की जानकारी दिनांक 9—2—1995 के पूर्व से थी। "

अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर ने उक्तानुसार विवेचना करते हुये आवेदक की अपील समयवाहय् पाकर निरस्त की है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा ने आदेश दिनांक 2—5—2000 पारित करते समय अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के आदेश दिनांक 19—7—99 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर व्दारा आदेश दिनांक 19—7—99 में तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा व्दारा आदेश दिनांक 2—5—2000 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 30/99—2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 2—5—2000 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर